डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/04/2024 दिनांक– 02.07.2024

कार्यालय–ज्ञाप

माननीय कुलपति जी के पुनः आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन में स्नातक/परास्नातक एवं विधि महाविद्यालय जिनको सत्र 2023–24 में अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त है ऐसे समस्त महाविद्यालय सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण प्राप्त किये जाने हेतु निर्धारित **(प्रति पाठ्यक्रम/विषय)** सम्बद्धता फीस रू0 25,000/– एवं 18 प्रतिशत जी0एसी0टी0 कुल रू0 29,500/– विश्वविद्यालय के खाता संख्या 50371353938 आई0एफ0एस0 कोड़ IDIB000A528 इण्डियन बैंक, विश्वविद्यालय कैम्पस, आगरा में जमा कर सत्यापित चालान/रसीद के साथ शिक्षक/प्रबन्ध समिति अनुमोदन पत्र एवं अवस्थापना सुविधायें पूर्ण होने का शपथ पत्र सहित सम्बद्धता सम्बन्धी सभी प्रपत्र संलग्न करते हुये पत्रावली दिनांक 15 जुलाई, 2024 तक प्रत्येक दशा में उपल्ब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय को सत्र 2024–25 में सम्बद्धता विस्तरण न होने की दशा में प्रवेश की अनुमति प्रदान नही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धन का होगा। उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय–आदेश संख्या सम्ब0/1400/2024 दिनांक 19.04.2024 द्वारा भी सूचना प्रेषित की गयी थी।

उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

02.07.24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचननार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. वित्त अधिकारी, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. प्रवेश समन्वयक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
4. प्रभारी–कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
5. **प्रभारी, वेबसाइट एवं अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को आज ही विश्वविद्यालय की बेवसाइट तथा कालेजों की लॉगिन में अपलोड करने का कष्ट करें।**
6. **अधीक्षक–कुलसचिव कार्यालय।**
7. अधीक्षक–सम्बद्धन।
8. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Affisviett